न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–184 / 2025

प्रार्थीया :–

भटकीदेवी उर्फ मटकीदेवी पत्नी सांवलराम जाति मेघवाल निवासी मोकलसर तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगणः–

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :–

श्री खीमाराम आकबल अधिवक्ता प्रार्थी

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 07.01.2026

प्रार्थीया द्वारा यह आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1451 व 1452 रकबा 0.1806 व 0.6849 हैक्टेयर भूमि ग्राम मोकलसर तहसील सिवाना में अवस्थित है, उक्त भूमि में राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश प्रार्थीया का नाम "मटकीदेवी पत्नी सांवलराम" दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थी के समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का वास्तविक नाम "भटकी पत्नी सावलराम" दर्ज है विवादित भूमियों में प्रार्थीया का नाम अशुद्ध अंकित होने से प्रार्थीया अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रार्थीया के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक भू.अ./2026/05 दिनांक 01.01.2026 को प्रेषित की गई। प्रार्थीया ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में जनआधार कार्ड,बैक पासबुक, आधार कार्ड व राशनकार्ड की छायाप्रति आदि प्रस्तुत किये ।

प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस सुनी ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:17:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस है कि [illegible]या [illegible] वास्तविक नाम "भटकीदेवी पत्नी सावलराम" है, किन्तु राज[illegible]रियों द्वारा [illegible]दित भूमि ग्राम मोकलसर खसरा संख्या 1451 व 1452 रक[illegible] हैक्टेयर भूमि के रा[illegible]र्ड में प्रार्थी का नाम "मटकी पत्नी सांवलराम" त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी, प्रार्थीया के दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थीया अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थीया के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के आधारकार्ड, परिवार राशनकार्ड, जनआधार कार्ड, व बैंक पासबुक आदि दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम ''भटकीदेवी पत्नी सावलराम'' दर्ज है,किन्तु विवादित भूमियां में प्रार्थीया का नाम ''मटकीदेवी पत्नी सांवलराम''दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी प्रार्थी का वास्तविक नाम ''भटकीदेवी पत्नी सावलराम'' होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा **प्रार्थीया** का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया ग्राम मोकलसर के खसरा संख्या **1451** व **1452** रकबा **0.1806** व **0.6849** हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का **नाम ''मटकीदेवी पत्नी सांवलराम** ''के स्थान पर ''मटकीदेवी उर्फ भटकीदेवी **पत्नी सावलराम** ' दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार **दुरूस्ती सुनिश्चित** किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 07.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:17:48 IST
Reason: SelfAttested